

प्रेषक,

डा० रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 06 दिसम्बर, 2017

विषय:- वर्ष 2017-18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु क्य किये जाने वाले कम्बलों की गुणवत्ता एवं उनके वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि प्रदेश में वर्ष 2017-18 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित एवं असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु कम्बल आदि क्य किये जाने तथा अलाव जलाने के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों को शासनादेश संख्या-1651/1-10-2017-12(34)/03टी0सी0-1 दिनांक 16 नवम्बर, 2017 द्वारा धनराशि स्वीकृत करते हुए शासनादेश संख्या-1711/1-10-2017-12(34)/03टी0सी0-1 दिनांक 28 नवम्बर, 2017 के माध्यम से विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में अत्यधिक ठण्ड के साथ-साथ शीतलहरी/कोहरा का प्रकोप प्रारम्भ हो गया है। अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से सामान्य जन, विशेषकर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बचाया जाना तथा त्वरित राहत प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

- (1) निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को वितरित किये जाने वाले कम्बल का एक-एक मानक सैम्पुल जिलाधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर रक्षित किया जायेगा एवं एक सील बन्द सैम्पुल राहत आयुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा ताकि वितरित होने वाले कम्बल की गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके।
- (2) जिलाधिकारी आपूर्तिकर्ता संस्था से कम्बल का सैम्पुल तथा आपूर्ति प्राप्त करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि सैम्पुल के अनुरूप निर्धारित गुणवत्ता के ही कम्बल आपूर्ति हो।
- (3) निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों के मध्य वितरित होने वाले कम्बल की मानक के अनुसार शत प्रतिशत गुणवत्ता अवश्य सुनिश्चित की जाय।
- (4) लाभार्थियों को कम्बल वितरण के संबंध में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए कम्बल वितरण केन्द्र के सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाय।

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा० रजनीश दुबे)

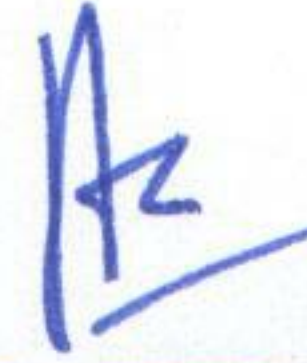
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या एवं तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी (श्री गिरीश चन्द्र यादव) नगर विकास अभाव सहायता एवं पुर्नवास विभाग, उ०प्र शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(अनिल कुमार)
उप सचिव।